भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 1573

गुरूवार, 12 फरवरी, 2026/23 माघ, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

तीर्थस्थलों का प्रबंधन

1573 श्री नरहरी अमीनः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले वर्ष के दौरान प्रसाद योजना के अंतर्गत समर्थित तीर्थ स्थलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या वहन क्षमता और भीड़-प्रवाह संबंधी अध्ययन किए गए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सुरक्षा, स्वच्छता और पहुंच संबंधी कमियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या राज्य सरकारों और मंदिर अधिकारियों के साथ समन्वय से संचालन में सुधार हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) तीर्थयात्रा के व्यस्ततम मौसमों के दौरान क्या परिणाम देखे गए हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): पर्यटन मंत्रालय "तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान" (प्रशाद) के अंतर्गत देश भर में चिह्नित धार्मिक एवं विरासत स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2025 के दौरान, प्रशाद योजना के अंतर्गत कुल 7 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया, जिनका विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) से (ग): प्रशाद योजना के अंतर्गत परियोजना नियोजन में वहन क्षमता और भीड़-प्रवाह संबंधी मापदंड अभिन्न अंग हैं। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, तीर्थस्थलों का चयन करते

समय तीर्थयात्रियों के प्रवाह को प्रबंधित करने हेतु उस स्थल की वहन क्षमता को ध्यान में रखा जाता है।

(घ): सुरक्षा, स्वच्छता और पहुंच संबंधी कमियों को दूर करने के लिए, प्रशाद परियोजनाओं के तहत प्रमुख सुविधाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ पैदल पथों का विकास, प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, पेयजल सुविधाएं, शौचालय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, अग्निशमन और अग्नि अलार्म, संकेतक आदि शामिल हैं।

(ङ) से (च): योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन संबंधित प्रशासन, स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों के परामर्श से परियोजनाओं के लिए व्यापक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करता है। उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत वित्तपोषण के पैटर्न में यह बताया गया है कि परियोजना की 5वीं किस्त, यानी परियोजना लागत का 5% सफल संचालन और रखरखाव के बाद जारी किया गया है। इसके अलावा, इस प्रकार निर्मित अवसंरचना को संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से संबंधित मंदिर/धार्मिक ट्रस्टों को सौंप दिया जाता है।

(छ): प्रशाद योजना के तहत तीर्थस्थल के लिए निर्मित महत्वपूर्ण सुविधाएं, जैसे कि पाथवे, प्रकाश व्यवस्था, पेय जल, शौचालय और पहुंच व्यवस्था स्थानीय अधिकारियों को तीर्थयात्रियों की आवाजाही का प्रबंधन करने और अधिक भीड़भाड़ के समय आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में मदद करती हैं।

****

अनुबंध

श्री नरहरी अमीन द्वारा तीर्थस्थलों के प्रबंधन के संबंध में दिनांक 12.02.2026 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के लिखित प्रश्न संख्या 1573 के भाग (क) के उत्तर में **विवरण**

वर्ष 2025 में प्रशाद योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की सूची:

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृति तिथि**	**स्वीकृत लागत (करोड़ रु. में)**
1	बिहार	अंबिका भवानी मंदिर, सारण का विकास	मार्च 2025	13.29
2	कर्नाटक	रेणुका यल्लमा देवी मंदिर का विकास	मार्च 2025	18.37
3	कर्नाटक	बीदर जिले के पापनाश मंदिर में बुनियादी सुविधाओं का विकास	मार्च 2025	22.25
4	मिजोरम	चम्फाई जिले के वांगछिया में प्रशाद योजना के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं का विकास	मार्च 2025	5.47
5	पुदुचेरी	श्री धरबरन्येश्वर मंदिर के लिए तीर्थयात्री सुविधाओं और पर्यटक आकर्षण का विकास	मार्च 2025	25.94
6	तमिलनाडु	8 नवग्रह मंदिरों का विकास	मार्च 2025	40.94
7	तेलंगाना	देवी रेणुका येल्लमा देवस्थानम में बुनियादी सुविधाओं का विकास	मार्च 2025	4.22

****